रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 871] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 17, 2013/चैत्र 27, 1935

No. 871] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 17, 2013/CHAITRA 27, 1935

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2013

का.आ. 986(अ).—केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 26 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (जिसे इसके बाद पोर्ट ट्रस्ट के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के अंतर्गत पानी के जहाजों तटीय स्टेशनों तथा सर्वेक्षण दलों के रूप में कार्यरत कामगारों की सेवा शर्तों के संबंध में विशेष विनियमों को लागू करने के संदर्भ में एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 एवं 14 के उपबंधों के बारे में निदेश देती है कि यह उक्त कामगारों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन इस अधिनियम के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन लागू नहीं होगा, अर्थात् :–

(i) पोर्ट ट्रस्ट उक्त विनियमों को पुस्तिका के रूप में हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं तथा उस भाषा अथवा अधिकांश कामगारों द्वारा समझे जाने वाली भाषा में प्रकाशित करेगा;

(ii) उपर्युक्त विनियमों में किसी प्रकार के संशोधन करने से पूर्व पोर्ट ट्रस्ट संबंधित कामगारों को प्रस्तावित संशोधनों के बारे में उक्त पोर्ट ट्रस्ट कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाकर सूचित करेगा और ऐसे नोटिस के 21 दिनों के भीतर प्रभावित होने वाले व्यक्तियों द्वारा इस संबंध में की गई किसी प्रकार की आपत्तियों अथवा सुझाव पर विचार करेगा;

(iii) उपर्युक्त शर्त (i) में संदर्भित पुस्तिका की एक प्रति तथा उसमें किए गए प्रत्येक संशोधन की एक प्रति प्रत्येक संबंधित कामगारों को पोर्ट ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी; तथा

(iv) पोर्ट ट्रस्ट प्रत्येक संबंधित कामगार के लिए एक वर्ष में कम से कम 52 विश्राम दिवस सुनिश्चित करेगा और इस संबंध में एक रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा ।

[सं. एस-32014/1/2005-डब्ल्यू सी]

टी. के. बसु, उप-महानिदेशक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2013

S.O. 986(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 26 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) the Central Government, having regard to the special regulations that have been framed in respect of service conditions of employees working in vessels, shore stations and survey parties under the Kolkata Port Trust (hereinafter referred to as the Port Trust), hereby directs that the provisions of Sections 13 and 14 of the said Act shall not apply to the said employees for a period of five years commencing from the date of publication of this notification in the Official Gazette, subject to the following conditions, namely :—

(i) the Port Trust shall publish the said regulations in a pamphlet form in Hindi and English languages and in the language or the languages understood by the majority of the workers;

(ii) before making any amendment to the aforesaid regulations, the Port Trust shall inform the workers concerned, by notice to be put up on the Notice Board in the office of the aforesaid Port Trust, of the proposed amendments and shall consider any objections or suggestions that may be made in respect thereof by persons likely to be affected thereby within twenty one days of such notice;

(iii) a copy of the pamphlet referred to in condition (i) above and a copy of every amendment thereto shall be supplied by the Port Trust to each worker concerned; and

(iv) the Port Trust shall ensure at least fifty two rest days to each concerned workman every year and shall maintain a register in this regard.

[No. S-32014/1/2005-WC]

T. K. BASU, Dy. Director General

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.